न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 219/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00326)

1. लक्ष्मण पुत्र श्रवण **(मृतक)**
   1/1. महेन्द्र पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
   1/2. मुन्ना उर्फ महेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
   1/3. कमली पत्नी स्व0 लक्ष्मण,
   1/4. कब्बो पुत्री स्व0 लक्ष्मण,
   1/5. धोली देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण,
2. हरलाल पुत्र श्रवण,
3. मुरारी पुत्र श्रवण,
4. रामनाथ पुत्र श्रवण,
5. गोमा उर्फ गोमती देवी पत्नी अर्जुन,
6. कालू पुत्र रामधन,
7. कैलाश पुत्र रामधन,
8. श्रीनारायण पुत्र रामधन,
   समस्त जाति मीना, निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. बिरद्या पुत्र सुकल्या **(फौत)**
   1/1. कैलाशी पत्नी स्व0 बिरद्या,
   1/2. रामरतन पुत्र स्व0 बिरद्या,
   1/3. विनोद पुत्र स्व0 बिरद्या,
   1/4. ताराचन्द पुत्र स्व0 बिरद्या,
   1/5. शीला पुत्री स्व0 बिरद्या,
2. शिम्भू पुत्र सुकल्या,
3. छोट्या पुत्र सुकल्या,
4. तोफा पत्नी सुकल्या **(नाम हजफ),**
   समस्त जाति मीना, निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय, जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 20.11.2019 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी बिरद्या बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 32/2019 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सी.एल.मीना, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/5 व 2, 3, 4 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 15.01.2026

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.11.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.06.2020 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4200 है0 वाके ग्राम गागदवाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 4 का प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4200 हैक्टयर वाके ग्राम गागदवाडी, तहसील सिकराय पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवायी जाने तथा मौका कमिश्नर फीस 1000 रूपये नियत किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.11.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 20.11.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया तथा ना ही अंकित किया कि कौन कौन पडौसी खातेदार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दीगर लोगों की खातेदारी होने का अंकन तो लिखा है किन्तु उनको पक्षकार नही बनाया गया तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही उक्त बिन्दु पर बिना कोई गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिस कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.42 है० वाके ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा की भूमि ग्राम भडंग्यावास की मुख्य सीमा से लगती हुई है तथा अभी तक ग्राम गांगदवाडी व ग्राम भडंग्यावास की सीमा ही चिन्हित नही हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जबरन रूप से ग्राम भडंग्यावास में स्थित मिन अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269, 270, 271 में जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि उनका कोई अधिकार नही है यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी भूमि के संबंध मे पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भूमि का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होता है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर ही पत्थरगढी के संबंध मे प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में स्पष्ट अंकित किया था कि तहसीलदार सिकराय द्वारा पूर्व में सैटलमेंट से नये नक्शे का बहाना बनाकर सीमाज्ञान नही किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम भडंग्यावास व ग्राम गांगदवाडी की सीमा पूर्ण रूपेण तय नही हुई थी तथा सैटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा प्रक्रियाधीन था तो बिना सीमाज्ञान हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कानूनी त्रुटि कारित की है ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के आदेश जारी किये है जबकि कानूनन योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का आदेश करने का क्षेत्राधिकार नही है क्योंकि बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट आये योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भलीभांति सिद्ध था कि विवादित भूमि के अन्य पडौसी खातेदारान की भूमि है जिनको पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जिया उडाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में स्पष्ट है कि दिनांक 09.10.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा अप्रार्थीगण की तामील हेतु तारीख पेशी 5.11.2019 नियत की गई थी तथा उस दिन भी तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 11.11.2019 नियत की गई थी तथा दिनांक 11.11.2019 को भी वास्ते तलबी आगामी तारीख पेशी 20.11.2019 दी गई थी तथा दिनांक 20.11.2019 को आदेशिका में वकील उभय पक्ष उपस्थित लिखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि कानूनन पहले जवाब लिया जाना आवश्यक था तथा जवाब के पश्चात साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक होता है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1 वाके ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय की भूमि ग्राम भडंग्यावास मे स्थित मिन अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269, 270, 271 के लगते हुए सीमा पर है तथा अपीलांट्स पडौसी खातेदार है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मिन अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिस कारण अपीलांट्स के उक्त निर्णय से हक प्रभावित हो रहे है तथा अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से पीड़ित और ग्रसित पक्षकार है जिस कारण उक्त निर्णय की अपील पेश करने के अधिकारी है इस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति लिये जाने हेतु अलग से प्रस्तुत है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2019 की जानकारी अपीलांट्स को पूर्व में कदापित नही थी। दिनांक 10.06.2020 को हल्का पटवारी ने अपीलांट्स संख्या 7 को बताया कि तुम्हारी बगल वाली जमीन के पत्थरगढी के आदेश हमारे पास आ गये अब पत्थरगढी करेगे। तो अपीलांट्स ने पूछा कि हमे बिना सुने कैसे आदेश हो सकते है पहले कोई नापतोल भी नही हुई तो पटवारी ने बताया कि हमे इस बाबत कोई पता नही है एसडीओ कोर्ट का आदेश तहसील मे आया है। जिस पर अपीलांट्स को बहुत भंयकर चिंता हुई तथा अपीलांट्स ने दिनांक 11.06.2020 को एस.डी.ओ. कोर्ट में जाकर उक्त आदेश बाबत जानकारी की तो उसी दिन शाम को निर्णय की तारीख का पता लगा जिस पर दूसरे दिन दिनांक 12.06.2020 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल उसी दिन दिनांक 12.06.2020 को प्राप्त हुई जिस कारण जानकारी से एवं नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। फिर भी रफा ए हुज्जत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.11.2019 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 20.11.2019 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4200 है0 वाके ग्राम गागदवाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जो प्रार्थीया के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 4 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.06.2020 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित व पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट्स यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 2 लगायत 4 का किस प्रकार पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार है। अपीलान्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4200 है0 वाके ग्राम गागदवाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है, जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.4200 हैक्टयर वाके ग्राम गागदवाडी, तहसील सिकराय पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने तथा मौका कमिश्नर फीस 1000 रूपये नियत किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2019 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर